रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2015/आषाढ़ 4, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 51

No. 79] DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2015/ASADHA 4, 1937 [N.C.T.D. No. 51

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जून, 2015

सं.फा. डीपीसीसी/ईआईए/एमआईएससी/09–खंड–III/3210-3253.–1. जबकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार की दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) के अनुसरण में दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 919(अ) के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्ली का गठन किया है और उक्त प्राधिकरण की सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), दिल्ली का गठन किया है;

2. और जबकि दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्ली तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), दिल्ली के प्रभावी कार्य संपादन के लिए सचिवालय प्रकार्यों की देखरेख के लिए अभिकरण के रूप में अधिसूचित करता है; तथा

3. अब इसलिए दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 919 (अ) के पैरा 9 तथा 10 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा आईएसबीटी बिल्डिंग, 4 एवं 5वॉ तल, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110 006 पर स्थित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.) को सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अधिकरण के रूप में अधिसूचित करती है और राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्ली तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) के सभी सांविधिक कृत्यों के संबंध में वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसमें स्थान, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी।

4. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी.पी.सी.सी.), राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), दिल्ली तथा राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), दिल्ली के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ते और

महंगाई भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करेगी। इस प्रयोजन के लिए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति शीघ्र ही एक अलग आदेश जारी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुमार, सचिव (पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 26th June, 2015

No. DPCC/EIA/MISC/09-Vol-III/3210-3253.—1. Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India, Notification Number S.O.1533 (E) dated 14th Septemeber, 2006, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India has constituted State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi vide Notification Number S.O. 919 (E) dated 1st April, 2015 and to assist the said authority, the Central Government, in consultation with the Government of National Capital Territory of Delhi has constituted the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi as well;

2. And Whereas in pursuance of the above referred Notification dated 1st April, 2015, the Government of National Capital Territory of Delhi is to notify the Agency to look after the Secretariat functions for the effective functioning of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi constituted for the National Capital Territory of Delhi under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); and

3. Now, Therefore, in pursuance of paras 9 and 10 of the said Notification No. S.O. 919 (E) dated 1st April, 2015, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies the Delhi Pollution Control Committee (DPCC), situated at ISBT Building, 4th & 5th floor, Kashmere Gate, Delhi-110006, as the Agency to act as Secretariat and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all statutory functions of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi.

4. The Delhi Pollution Control Committee (DPCC) shall arrange to pay sitting fee, traveling allowance and dearness allowance to the Chairmen and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Delhi and the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Delhi. For this purpose, Delhi Pollution Control Committee will issue a separate order expeditiously.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of
National Capital Territory of Delhi,
SANJIV KUMAR, Secy. (Environment, Forests and Wildlife)